[2021] 3 एस. सी. आर 1001

कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

अंबुज ए. कासलिवाल और अन्य ।

(2021 की सिविल अपील संख्या 538)

16 फरवरी, 2021

[मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्तिगण ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमणियन]

लेकिन उचित मामलों में कारणों को दर्ज करने के लिए देय ऋण का कम से कम पच्चीस प्रतिशत जमा करने की अनुमति होगी, लेकिन पूरी छूट नहीं-जब डी. आर. टी. द्वारा जारी डिक्री/वसूली प्रमाण पत्र के निर्वहन में आगे की राशि देय और देय हो, तो उच्च न्यायालय के पास पूर्व-जमा को पूरी तरह से माफ करने की शक्ति नहीं है। न ही यह वैधानिक प्रावधान की अनिवार्य आवश्यकता के खिलाफ विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है-पूरी सीमा तक पूर्व-जमा की कोई छूट।

यह वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगा-उच्च न्यायालय डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करना उचित नहीं है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में, द्वारा नोट की गई राशि का पच्चीस प्रतिशत की पूर्व जमा राशि।

डी. आर. ए. टी. की अनुमति है-डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को इसमें संशोधित किया गया है।

हद तक।

शब्द और वाक्यांश - धारा 21 "अपील पर विचार नहीं किया जाएगा"

आयोजित किया गया: इस तरह के वाक्यांश से अपीलीय न्यायाधिकरण को आदेश देता है

जिस व्यक्ति से ऋण की राशि बैंक को देय है, उसकी अपील पर विचार करना, जब तक कि ऐसा व्यक्ति न्यायाधिकरण में जमा नहीं करता है, तब तक देय ऋण की राशि का पचास प्रतिशत-ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993-एस. 21,19 .

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 (आर. डी. बी. ए.) की धारा 21 का अवलोकन जो इस वाक्यांश का उपयोग करता है।

" अपील पर विचार नहीं किया जाएगा "इंगित करता है कि यह अपीलीय न्यायाधिकरण को किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर विचार करने से रोकता है

जिसे ऋण की राशि बैंक को देय है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस पृष्ठभूमि में, उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, डी. आर. ए. टी. ने तत्काल मामले में राशि का पचास प्रतिशत जमा करने का आदेश दिया है। उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने जमा राशि की माफी की मांग करते हुए अनिवार्य रूप से इस मामले को यह इंगित करने के लिए पेश किया है कि डी. आर. टी. द्वारा आदेशित वसूली प्रमाण पत्र 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ करोड़ रुपये की राशि के लिए है और बैंक द्वारा मुआवजे की राशि से प्राप्त राशि के लिए देय है। प्रत्यर्थी संख्या 3 स्वयं Rs.152,81,07,159/- का योग है और इस प्रकार कोई ऋण देय नहीं है। [पैरा 10] [1008-ई-एच; 1009-ए-बी]

1.2 उच्च न्यायालय ने ऋण राशि के लिए की गई वसूली के पहलू की ओर ध्यान दिलाते हुए एक ठोस कदम उठाया है।

प्रत्यर्थी सं. 3 को देय भूमि अधिग्रहण मुआवजे से। निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि मुआवजे की राशि की प्राप्ति भले ही डिक्री के पारित होने से पहले की गई हो, लेकिन इससे 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ 1 करोड़ रुपये की अवमूल्यन राशि समाप्त हो जाएगी, हालांकि ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इसके विपरीत, डी. आर. ए. टी. ने अपने दिनांक 27.02.2019 के आदेश द्वारा राशि के पचास प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि का निर्देश देते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि यदि डी. आर. टी. द्वारा आदेशित अवमूल्यन राशि को ध्यान में रखा जाता है और मुआवजे की राशि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त राशि जमा की जाती है, तो उत्तरदाता संख्या 1 से 3 द्वारा देय अवमूल्यन राशि की शेष राशि Rs.68,18,92,841/- हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से डी. आर. ए. टी. ने उक्त राशि का पचास प्रतिशत पूर्व जमा करने का आदेश दिया है जो अभी भी बकाया ऋण है। उस पहलू पर, हालांकि वास्तविक देय राशि की अंतिम शुद्धता गणना का विषय है। निष्पादन कार्यवाही में, वर्तमान में, पूर्व-जमा के उद्देश्य से किया जाना है यदि डिक्री/वसूली प्रमाण पत्र कोटक महिंद्रा बैंक पी. वी. टी. जारी करता है।

डी. आर. टी. द्वारा इस स्थिति को ध्यान में रखा जाता है कि भले ही मुआवजे की राशि का विनियोग डिक्री से पहले या बाद में किया जाता है, फिर भी देय बकाया राशि होगी जो डी. आर. ए. टी. में अपील का विषय होगी, इस तथ्य के अलावा कि अपीलकर्ता बैंक अपनी अपील में उस पूरी राशि का दावा कर रहा है जो निपटान की शर्तों का पालन नहीं किए जाने के बाद से बकाया है। [पैरा 12] [1009-एफ-एच; 1010-ए डी] 1.3 जब डी. आर. ए. टी. द्वारा प्रथम दृष्टया यह ध्यान दिया गया कि आगे की राशि देय थी और पूर्व-जमा का आदेश दिया गया था, तो इस तरह के निष्कर्ष में दोष पाए बिना उच्च न्यायालय डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला है कि प्राप्ति का लाभ

Rs.152,81,07,159/- को डिक्रीटल राशि के मुकाबले अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह अंतिम निर्णय देने से पहले प्राप्त किया गया था। इस तरह का निष्कर्ष किसी भी स्थिति में उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के पक्ष में शेष राशि को पूरी पूर्व-जमा राशि को माफ करने के लिए झुका नहीं सकता था, जब तक कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि इस तरह की रसीद से पूरी अवमूल्यन राशि का भुगतान किया जाता है और ऐसा कोई ऋण नहीं था जो किसी भी स्थिति में वर्तमान प्रकृति की

याचिका में विचार के दायरे से बाहर हो। दूसरी ओर, डी. आर. ए. टी. ने अवमूल्यन राशि पर ध्यान दिया है, जिसके रूप में जमा की गई राशि की प्राप्ति

क्षतिपूर्ति और, आगे नोट करने के बाद कि ऋण अभी भी बकाया है,

1.4 यहाँ उत्पन्न होने वाले तथ्यों और परिस्थितियों में, जब डिक्री के निर्वहन में अतिरिक्त राशि देय और देय हो। अपीलार्थी/बैंक के पक्ष में डी. आर. टी. द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र, उच्च न्यायालय के पास पूर्व जमा को पूरी तरह से माफ करने की शक्ति नहीं है, और न ही वह विवेक का प्रयोग कर सकता है जो

धारा 21 में निहित वैधानिक प्रावधान की अनिवार्य आवश्यकता के विरुद्ध। सभी मामलों में अवमूल्यन राशि का पचास प्रतिशत यानी देय ऋण को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में डी. आर. ए. टी. के समक्ष जमा किया जाना है, लेकिन उचित मामलों में कारणों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत की जमा राशि दर्ज की जाए।

देय ऋण की अनुमति होगी, लेकिन पूरी तरह से छूट नहीं होगी। इसलिए, पूरी सीमा तक पूर्व-जमा की कोई भी छूट वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगी और इसलिए, कानून में टिकाऊ नहीं होगी।

पूर्ण छूट वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन इस पल में यह ध्यान में रखते हुए कि यद्यपि वास्तविक देय राशि से संबंधित मुद्दे पर डी. आर. ए. टी. द्वारा विचार किया जाना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डी. आर. टी. ने पहले के समझौते को ध्यान में रखा है और तदनुसार उस सीमा तक और इस तरह के डिक्री के लिए दावे का फैसला किया है क्योंकि एक बड़े हिस्से का भुगतान किया जाता है।

यद्यपि क्षतिपूर्ति राशि के विनियोग द्वारा और स्वीकार्य रूप से क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 से संबंधित शेष संपत्तियां बंधक के रूप में उपलब्ध हैं और उत्तरदाता संख्या 1 और 2 व्यक्तिगत गारंटर हैं, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में उत्तरदाता संख्या। 1 और 2 को डी. आर. ए. टी. द्वारा नोट की गई राशि का पँचिश प्रतिशत अर्थात Rs.68,18,92,841/- का पँचिश प्रतिशत पूर्व जमा करने की अनुमति है। उक्त सीमा तक, डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाता है। [पैरा 14,17 और 20] [1010-जी-एच; 1011-ए-बी; 1013-डी-जी]

नारायण चंद्र घोष बनाम। यूको बैंक और अन्य (2011) 4 एससीसी 548: [2011] 3 एस. सी. आर. 1024-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 3 एससीआर 1024 उस पर भरोसा करें पैरा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 538

2021 से।

उच्च न्यायालय के 16.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 7530 में नई दिल्ली में।

के साथ

CONT.PET। ((ग) नहीं। 569/2020 एस. एल. पी. (सी) संख्या में 21555/2019

वी. गिरि, मुकल रोहतगी, रितिन राय, मुकल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुरेश

डी. डोभाल, शिखर कुमार, गौरव अग्रवाल, अंकुर सूद, सुश्री रोमिला मंडल, अंकुश भारद्वाज, कौशिक लाइक, श्री. अंबुज कासलीवाल, एस. विकास कासलीवाल, सुश्री जयश्री शुक्ला दासगुप्ता, सुश्री सलोनी चौधरी, करण बतुरा, सुश्री अखिल पी. छाबड़ा, सुश्री रितु छाबड़ा, सुमीर सोधी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू. पी. में पारित दिनांक 16.07.2019 के आदेश पर आक्षेप कर रहा है। (ग) 2019 का No.7530 जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'डी. आर. ए. टी.') के समक्ष बकाया निर्धारित ऋण के एक हिस्से को पूर्व जमा किए बिना अपील करने की अनुमति दी है, जैसा कि ऋण और दिवालियापन की वसूली की धारा 21 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'आर. डी. बी. ए. अधिनियम')। उक्त आदेश से व्यथित होने का दावा करने वाला अपीलार्थी/बैंक तत्काल अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

3. इस न्यायालय ने पहली बार मामले पर ध्यान देते हुए, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उत्तरदाता संख्या 1 को निर्देश दिया था।

और 2 8 सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष Rs.20 करोड़ की राशि जमा करने के लिए। उक्त आदेश में यह संकेत दिया गया था कि डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील में आगे की कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख तक या प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा उक्त राशि जमा करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, रोक दी जाएगी। इस न्यायालय द्वारा निर्देशित जमा राशि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा नहीं की गई है।

4. वर्तमान कार्यवाही के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् हिंडन रिवर मिल्स लिमिटेड ने वित्तीय लाभ उठाया था। प्रतिवादी संख्या 6-आईएफसीआई लिमिटेड से सहायता। उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने उक्त वित्तीय सहायता के संबंध में अपनी व्यक्तिगत गारंटी की पेशकश की

थी। उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने बकाया राशि के पुनः भुगतान में चूक की थी और खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 6-आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा नीलामी की गई जिसमें अपीलकर्ता सफल बोलीदाता था और तदनुसार, अवैतनिक ऋण और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति उनके पक्ष में सौंपी गई थी। द.

2006 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.14999 में उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता संख्या 1 से 3 द्वारा असाइनमेंट पर हमला किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया और इस न्यायालय द्वारा दायर 2011 के एस. एल. पी. (सी) सं. 35004 पर ध्यान दिया गया और उक्त कार्यवाही में पक्षों के बीच किए गए समझौते को दर्ज किया गया और उसका निपटारा किया गया। समझौते के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने Rs.145 की राशि चुकाने पर सहमति व्यक्त की थी।

15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करोड़ रुपये, बशर्ते कि उनका भुगतान किया जा रहा हो 31.07.2012 पर या उससे पहले। उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के बारे में कहा गया है कि उन्होंने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और भुगतान नहीं किया गया। इसलिए अपीलार्थी बैंक ने वसूली की कार्यवाही शुरू की

2015 के ओ. ए. No.281 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (संक्षेप में डी. आर. टी.), नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन दायर करके। उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी बैंक ने दावा किया कि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 तक पूरे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे क्योंकि निपटान का लाभ जिसमें बकाया राशि को रोक दिया गया था, उस समय के भीतर प्राप्त नहीं किया गया था।

फ्रेम। तदनुसार, रु। 572,18,77,112 / - (रुपये पाँच सौ सत्तर-दो करोड़ अठारह लाख सत्तर-सात हजार और एक सौ बारह), जो ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ डी. आर. टी. के समक्ष दावा किया गया था।

5. जब यह स्थिति थी, डी. आर. टी. के समक्ष 2015 के O.A.No.281 के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 7/राष्ट्रीय राजमार्ग

भारतीय प्राधिकरण (संक्षेप में 'एनएचएआई') ने प्रत्यर्थी संख्या 3 से संबंधित बंधक संपत्ति के एक हिस्से का अधिग्रहण किया और डी. आर. टी. के समक्ष Rs.62,31,87,312/- (साठ-दो करोड़ तीस-एक लाख अस्सी-सात हजार तीन सौ बारह रुपये) की क्षतिपूर्ति राशि जमा की। इसके बाद जिले द्वारा मुआवजे में वृद्धि की गई

मजिस्ट्रेट (मध्यस्थ) गाजियाबाद और एक और राशि Rs.72,96,12,827/(रुपये सत्तर-दो करोड़ नब्बे-छह लाख बारह हजार और

आठ सौ सत्ताईस) जमा किए गए। इस प्रकार, कुल मिलाकर Rs.152,81,07,159/- (एक सौ पचास-दो करोड़ अस्सी-एक लाख सात हजार और एक सौ पचास-नौ रुपये) का योग था

क्षतिपूर्ति राशि जो बंधक संपत्ति से संबंधित प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जमा की गई थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में जमा किया गया था। पृष्ठभूमि में इन घटनाक्रमों के साथ, डी. आर. टी. ने दावा आवेदन पर विचार करने के लिए आगे बढ़े और अंततः दिनांकित 15.03.2018 आदेश के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के माध्यम से, दावे के विपरीत, डी. आर. टी. ने बकाया राशि को कम करने पर, प्राप्ति तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के भविष्य के ब्याज के साथ डिक्रिटल राशि को Rs.145 करोड़ तक सीमित कर दिया था। इसमें आगे यह आदेश दिया गया कि राशि का भुगतान Rs.152,81,07,159/- (एक सौ पचास-दो करोड़ अस्सी-एक) की राशि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक लाख सात हजार पचास-नौ) का भुगतान किया गया।

6. डी. आर. टी. द्वारा पारित दिनांकित 15.03.2018 आदेश से व्यथित होने का दावा करने वाले अपीलार्थी/बैंक के साथ-साथ उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने डी. आर. ए. टी. के समक्ष पसंदीदा अपीलें। इस समय इस न्यायालय को ऋण लेन-देन और उसकी वसूली की मात्रा आदि से संबंधित प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो डी. आर. ए. टी. के समक्ष अपील में उत्पन्न होने वाला मामला है। वर्तमान कार्यवाही केवल डी. आर. ए. टी. के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर अपील के रूप में कानून में विचार किए गए पूर्व-जमा से संबंधित मुद्दे के संबंध में सीमित है। इस संबंध में, उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने डी. आर. ए. टी. के समक्ष 2018 की अपनी अपील आई. डी. 1 में डी. आर. टी. द्वारा निर्धारित ऋण के पचास प्रतिशत की पूर्व-जमा राशि को माफ करने के लिए 2018 के आई. ए. आई. डी. 2 में एक आवेदन भी दायर किया था। डी. आर. ए. टी. ने उक्त पहलू पर तर्कों को ध्यान में रखते हुए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि Rs.152,81,07,159/- (रुपये एक सौ पचास-दो करोड़ अस्सी-एक लाख सात हजार और एक सौ पचास-नौ) की राशि अपीलार्थी बैंक को प्राप्त हुई थी, उस संदर्भ में नोट किया था कि देय ऋण की शेष राशि इस प्रकार है -

Rs.68,18,92,841/- (रुपया साठ-आठ करोड़ अठारह लाख नब्बे हजार आठ सौ इकतालीस)। इसलिए, डी. आर. ए. टी. ने दिनांकित 27.02.2019 आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि उक्त राशि का पचास प्रतिशत जमा किया जाना है। उसी के खिलाफ दायर समीक्षा को 09.04.2019 पर खारिज कर दिया गया था।

7. उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने दिनांकित 27.02.2019 और 09.04.2019 के आदेशों से व्यथित होने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

2019 के डब्ल्यूपी (सी) No.7530 में दिल्ली। उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को स्वीकार किया और इस तथ्य से प्रभावित हुआ कि अपीलकर्ता/बैंक ने Rs.152,81,07,159/- (एक सौ पचास-दो करोड़ अस्सी-एक लाख सात हजार एक सौ रुपये) की राशि की वसूली की है।

पचास-नौ), इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को पूर्व-जमा किए बिना अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी है और

8. श्री V.Giri, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मुकुल रोहतगी और श्री रितिन राय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरदाताओं और अपील पत्रों का अध्ययन किया।

जैसा कि देखा गया है, हालांकि वह क्रम जिसके कारण कार्यवाही हुई

डी. आर. टी. और डी. आर. ए. टी. पर ध्यान दिए जाने और कुछ विस्तार से निर्दिष्ट किए जाने से पहले, विचार के लिए संक्षिप्त मुद्दा डी. आर. ए. टी. के समक्ष एक अपील में देय ऋण की पूर्व-जमा से संबंधित मामले में डी. आर. ए. टी. और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में है। उक्त मुद्दे को हल करने के लिए, ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 21 पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें अपील दायर करने पर देय ऋण की राशि जमा करने का प्रावधान है। आर. डी. बी. ए. की धारा 21 इस प्रकार है: -

" अपील दायर करने पर देय ऋण राशि का जमा-जहां एक

अपील किसी भी व्यक्ति द्वारा पसंद की जाती है जिससे ऋण की राशि

किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों के संघ के कारण है

या वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। अपीलीय न्यायाधिकरण जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने जमा नहीं किया है

अपीलीय न्यायाधिकरण [पचास प्रतिशत।] इस प्रकार देय ऋण की राशि धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित के रूप में उससे: बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, कारणों से हो सकता है लिखित रूप में अभिलिखित, [ऐसे द्वारा जमा की जाने वाली राशि को कम करें] राशि जो पच्चीस प्रतिशत से कम न हो। में से इस प्रकार देय ऋण की राशि इस धारा के तहत जमा की जाएगी।

(जोर दिया गया)

10. उस प्रावधान का अवलोकन जो "अपील" वाक्यांश को नियोजित करता है। यह इंगित करता है कि यह अपीलीय न्यायाधिकरण को उस व्यक्ति की अपील पर विचार करने से रोकता है जिससे ऋण की राशि बैंक को देय है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए ऋण की राशि का पचास प्रतिशत अपीलीय न्यायाधिकरण में जमा नहीं किया है। हालाँकि, उक्त धारा का परंतुक, अपीलीय न्यायाधिकरण को जमा की जाने वाली राशि को कम करने का विवेकाधिकार देता है, जिसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए

बकाया ऋण का पच्चीस प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं, कुल माफी के लिए बहुत कम नहीं। यह उस पृष्ठभूमि में है, में रखते हुए उक्त प्रावधान के परिप्रेक्षय में, डी. आर. ए. टी. ने तत्काल मामले में राशि का पचास प्रतिशत जमा करने का आदेश दिया है। उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने जमा राशि की माफी की मांग करते हुए अनिवार्य रूप से कोटाक महिंद्रा बैंक पी. वी. टी. के मामले को पेश किया है।

यह इंगित करने के लिए कि डी. आर. टी. द्वारा आदेशित वसूली प्रमाण पत्र 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ Rs.145 करोड़ की राशि के लिए है और बैंक द्वारा देय मुआवजे की राशि से प्राप्त राशि प्रत्यर्थी सं. 3 स्वयं Rs.152,81,07,159/- (एक सौ बावन करोड़ इकासी लाख सात हजार और एक सौ उनसठ रुपये) का योग है और इस प्रकार कोई ऋण देय नहीं है।

11. इस संबंध में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है: -

" 9. पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि विद्वान डी. आर. ए. टी. ने नहीं देखा है वर्तमान मामले में पूर्व-जमा का पहलू सही है। Rs.152,81,07,159/- की राशि मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी-बैंक द्वारा प्राप्त की गई थी। प्रत्यर्थी-बैंक ने यह दावा करने के लिए अपने मूल आवेदन में संशोधन नहीं किया कि उसने उक्त राशि को समायोजित किया है, और शेष राशि के लिए अपने दावे को सीमित नहीं किया है। नतीजतन, मूल आवेदन पर निर्णय लेते समय, डी. आर. टी. इस आधार पर आगे बढ़ा है कि प्रतिवादी-बैंक रुपये की निपटान राशि से बाध्य है। 145 5 जुलाई, 2012 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज पाने का हकदार है, जब तक कि रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए घटती हुई शेष राशि की प्राप्ति नहीं हो जाती। 152,81,07,159 / - इस दौरान प्राप्त मूल आवेदन की विचाराधीनता।

10. केवल इसलिए कि Rs.152,81,07,159/- की राशि प्रतिवादी-बैंक द्वारा अंतिम निर्णय पारित करने से पहले प्राप्त की गई थी, और उसके बाद नहीं, पूर्व-जमा के पहलू पर विचार करते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि देनदार या गारंटर को उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में जमा करना होगा।

12. निकाले गए हिस्से से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने देय भूमि अधिग्रहण मुआवजे से ऋण राशि की वसूली के पहलू पर ध्यान देते हुए एक ठोस कदम उठाया है। प्रत्यर्थी सं. 3. निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि मुआवजे की राशि की प्राप्ति भले ही डिक्री के पारित होने से पहले थी,

ब्याज के साथ Rs.145 करोड़ की मूल्यह्रास राशि को मिटा देगा

9 % प्रति वर्ष, हालांकि ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इसके विपरीत, डी. आर. ए. टी. ने अपने दिनांक 27.02.2019 के आदेश द्वारा राशि के पचास प्रतिशत की पूर्व जमा राशि का निर्देश देते हुए इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि यदि

डी. आर. टी. द्वारा आदेशित अवमूल्यन राशि को ध्यान में रखा जाता है और [2021] 3 एस. सी. आर.

क्षतिपूर्ति राशि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त राशि जमा की जाती है, उत्तरदाताओं द्वारा देय डिक्रेटल राशि की शेष राशि

नंबर 1 से 3 तक Rs.68,18,92,841/- (अड़सठ करोड़ अठारह लाख नब्बे दो हजार आठ सौ इकतालीस रुपये) तक काम करेगा। इस दृष्टिकोण से डी. आर. ए. टी. ने उक्त राशि का पचास प्रतिशत पूर्व जमा करने का आदेश दिया है जो अभी भी बकाया ऋण है। उस पहलू पर,

यद्यपि देय वास्तविक राशि की अंतिम शुद्धता निष्पादन कार्यवाही में गणना के लिए एक मामला है, वर्तमान के लिए, पूर्व-जमा के उद्देश्य से यदि द्वारा जारी डिक्री/वसूली प्रमाण पत्र

डी. आर. टी. को ध्यान में रखा जाता है कि स्थिति स्पष्ट है कि भले ही मुआवजे की राशि विनियोजित की जाती है, या तो डिक्री से पहले या बाद में, फिर भी देय बकाया राशि होगी जो कि

डी. आर. ए. टी. में अपील की विषय वस्तु, इस तथ्य के अलावा कि अपीलकर्ता बैंक अपनी अपील में उस पूरी राशि का दावा कर रहा है जो निपटान की शर्तों का पालन नहीं किए जाने के बाद से बकाया है। 13. इस प्रकार, जब डी. आर. ए. टी. द्वारा प्रथम दृष्टया इस बात पर ध्यान दिया गया कि आगे की राशि देय थी और पूर्व-जमा का आदेश दिया गया था, तो इस तरह के निष्कर्ष में दोष पाए बिना उच्च न्यायालय को स्थापित करने में उचित नहीं माना गया।

डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों को अलग करें। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निकाले गए हिस्से से उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने केवल यह निष्कर्ष निकाला है कि रुपये की प्राप्ति का लाभ है। 152,81,07,159 / (रुपया एक सौ बावन सौ करोड़ इकासी लाख सात

हजार एक सौ उनतालीस) की अवमूल्यन राशि से इनकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह अंतिम निर्णय पारित करने से पहले प्राप्त की गई थी। इस तरह के निष्कर्ष किसी भी स्थिति में उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के पक्ष में शेष राशि को पूरी पूर्व जमा राशि को माफ करने के लिए झुका नहीं सकते थे, जब तक कि उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला था कि पूरी डिक्रीटल राशि ऐसी रसीद से संतुष्ट है और कोई नहीं था

देय ऋण जो किसी भी स्थिति में वर्तमान प्रकृति की याचिका में विचार के दायरे से बाहर था। दूसरी ओर, जैसा कि कहा गया है, डी. आर. ए. टी. ने अवमूल्यन राशि, मुआवजे के रूप में जमा की गई राशि की प्राप्ति पर ध्यान देने के बाद और आगे यह नोट करने के बाद कि ऋण अभी भी बकाया है, उस सीमा तक सीमित पूर्व-जमा का निर्देश दिया है।

14. इसलिए, यहां उत्पन्न होने वाले तथ्यों और परिस्थितियों में, जब डिक्री/वसूली के निर्वहन में आगे की राशि देय और देय हो अपीलार्थी/बैंक, उच्च न्यायालय के पक्ष में डी. आर. टी. द्वारा जारी प्रमाण पत्र

न्यायालय के पास पूर्व-जमा को पूरी तरह से माफ करने की शक्ति नहीं है, और न ही वह विवेक का प्रयोग कर सकता है जो अनिवार्य आवश्यकता के खिलाफ है

धारा 21 में निहित वैधानिक प्रावधान, जो ऊपर निकाला गया है। सभी मामलों में डिक्रीटल राशि का पचास प्रतिशत यानी देय ऋण को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में डी. आर. ए. टी. के समक्ष जमा किया जाना है, लेकिन उचित मामलों में कम से कम कारण दर्ज करने के लिए बकाया ऋण का पँचिश प्रतिशत स्वीकार्य होगा, लेकिन पूरी तरह से माफी नहीं होगी। इसलिए, पूरी सीमा तक पूर्व-जमा की कोई भी छूट वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगी और इसलिए, कानून में टिकाऊ नहीं होगी।

इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

15. यह देखा गया है कि यह न्यायालय एक अनुरूप पर विचार करते हुए

(' अपील के उपचार का लाभ उठाने के लिए पूर्व-जमा से संबंधित 'सरफेसी' ने नारायण के मामले में भी इसी तरह की राय व्यक्त की है। चंद्र घोष बनाम यूको बैंक और अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 548, जो नीचे दिया गया है: -

7. अधिनियम की धारा 18 (1) ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश से पीड़ित व्यक्ति को वैधानिक अधिकार प्रदान करती है।

उससे देय ऋण राशि का पचास प्रतिशत, जैसा कि सुरक्षित लेनदारों द्वारा दावा किया गया है या ऋण वसूली द्वारा निर्धारित किया गया है। न्यायाधिकरण, जो भी कम हो। लेकिन, उप-धारा के तीसरे परंतुक के तहत, अपीलीय न्यायाधिकरण के पास लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट राशि को ऋण के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक कम करने की शक्ति है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील के मनोरंजन के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध है जब तक कि पूर्ववर्ती शर्त, जैसा कि निर्धारित किया गया है, पूरी नहीं हो जाती है। जब तक उधारकर्ता नहीं करता है, के साथ

अपीलीय न्यायाधिकरण, जो उससे देय ऋण का पचास प्रतिशत पूर्व जमा करता है या निर्धारित करता है, उक्त प्रावधान के तहत एक अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाषा की

कहा गया परंतुक स्पष्ट है और कोई अस्पष्टता स्वीकार नहीं करता है।

8. यह अच्छी तरह से तय है कि जब कोई क़ानून अधिकार प्रदान करते समय अपील का अधिकार प्रदान करता है, तो विधानमंडल ऐसे अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तें लगा सकता है, जब तक कि शर्तें ऐसी नहीं हैं [2021] 3 एस. सी. आर.

अनुचित प्रतिबंधों के रूप में कठिन, अधिकार को लगभग भ्रामक बनाता है। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त परंतुक में निहित शर्तों को कठिन नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत पूर्व-जमा की आवश्यकता अनिवार्य है और अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रावधानों को पूरी तरह से प्रभावी नहीं करने का कोई कारण नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, कोई अदालत नहीं,

पचास प्रतिशत की जमा राशि को घटाकर दूसरी अवधि में निर्दिष्ट ऋण के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं किया गया। प्रावधान। हम आश्वस्त हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश, पूर्व-जमा पर जोर दिए बिना अपीलार्थी की अपील पर विचार करना स्पष्ट रूप से अस्थिर था और इसलिए, इसे रद्द करने में उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है।

(जोर दिया गया)

16. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद मुद्दा यह भी है कि तत्काल मामले में किस हद तक पूर्व-जमा का आदेश दिया जाना है। यद्यपि दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आज तक देय वास्तविक ऋण के रूप में अलग-अलग आंकड़ों का संकेत दिया है, हम इसका प्रस्ताव नहीं करते हैं मामले के उस पहलू में प्रवेश करें क्योंकि वास्तविक देय राशि एक ऐसा मामला है जिस पर डी. आर. ए. टी. द्वारा विचार करते समय ध्यान दिया जाएगा

निष्पादन कार्यवाहियों में गुण-दोष पर और वसूली के बिंदु पर, यदि कोई हो, अपील करें। हालाँकि, वर्तमान में हम डी. आर. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 27.02.2019 आदेश में दर्शाई गई राशि पर ध्यान देंगे। इसलिए, पूर्व-जमा निर्धारित करने के उद्देश्य से, देय डिक्रिटल राशि Rs.68,18,92,841/- (साठ-आठ करोड़ अठारह लाख नब्बे-दो हजार आठ सौ इकतालीस रुपये) पर ली जाती है। श्री. मुकुल

रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संपत्ति का एक हिस्सा

प्रत्यर्थी संख्या 3 से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया है और शेष संपत्ति अभी भी बंधक के तहत है और इस तरह पूर्व-जमा उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के लिए बोझिल होगी, विशेष रूप से जब पूरी क्षतिपूर्ति राशि जमा की जाती है और देय ऋण का बड़ा हिस्सा चुका दिया जाता है। 17. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पूर्ण छूट वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगी। हालांकि, तत्काल मामले में, ध्यान दें कि हालांकि

देय वास्तविक राशि से संबंधित मुद्दे पर डी. आर. ए. टी. द्वारा विचार किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डी. आर. टी. ने पहले के समझौते को ध्यान में रखा है और तदनुसार उस सीमा तक और ऐसे डिक्री के लिए दावे का आदेश दिया है क्योंकि एक बड़े हिस्से का भुगतान किया जाता है, हालांकि मुआवजे की राशि के विनियोग द्वारा और स्वीकार किया जाता है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 की

शेष संपत्तियां बंधक के रूप में उपलब्ध हैं और उत्तरदाता संख्या 1 और 2 व्यक्तिगत गारंटर हैं, हम यह उचित समझते हैं कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में प्रति व्यक्ति पच्चीस की पूर्व-जमा राशि की अनुमति देने के लिए।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें किया गया विचार और देय ऋण की मात्रा पूर्व-जमा से संबंधित पहलू तक सीमित है। बाकी सब। बकाया ऋण की वास्तविक राशि सहित विवाद को लंबित अपीलों में आग्रह करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

19. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए Rs.20 करोड़ की राशि जमा करने का अंतरिम निर्देश, जैसा कि 22.11.2019 पर आदेश दिया गया है, अपनी सीमा खो देगा।इस समय वेंस। यद्यपि उक्त निर्देश दिनांक 1.2019 के अनुसार राशि समय सीमा के भीतर जमा की जानी थी और ई गैर-अनुपालन है, अपील में पारित किए जा रहे आदेश के बाद के विकास को देखते हुए, हम अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई अवमानना याचिका में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं देखते हैं, हालांकि एक समय पर प्रतिवादी को नोटिस का आदेश दिया गया था।

20. परिणाम में;

(i) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.7530 में पारित दिनांकित 16.07.2019 आदेश को दरकिनार कर दिया गया है;

(ii) डी. आर. ए. टी., दिल्ली द्वारा 2018 के अपील No.311 में 2018 के आई. ए. No.511 पर पारित दिनांक 27.02.2019 के आदेश को संशोधित किया गया है। उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को Rs.68,18,92,841/- (रुपये साठ-आठ करोड़ अठारह लाख नब्बे-दो हजार आठ सौ इकतालीस) का पच्चीस प्रतिशत जमा करने और 2018 की अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति है, बशर्ते कि ऐसी जमा राशि 8 सप्ताह के भीतर की जाए, जिसमें विफल रहने पर अपील कानून की नजर में कायम नहीं रहेगी।

(iii) तदनुसार अपील की आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं; (iv) 2020 की अवमानना याचिका No.569 को बंद कर दिया गया है।

अनावश्यक;

((iv) लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

पांडे